-38 / 2023

लय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी

दिनांकः– 15.06.2023

38 / 2023

पीठासीन अधिकारीः– सुनीता मीना आर.ए.एस

उनवान

1. विश्राम पुत्र शिवलाल
2. लज्जा पुत्री शिवलाल
3. हुकमबाई पुत्री शिवलाल
4. बिरमा पुत्री शिवलाल
5. चौथी पुत्री शिवलाल
6. बालकिशन पुत्र श्रीराम
7. सोनबाई पत्नि श्रीराम
8. लख्खो बाई पुत्री श्रीराम
9. नीरी पुत्री श्रीराम
10. गुड्डी पुत्री श्रीराम
11. किन्तो पुत्री श्रीराम
12. रामसहाय पुत्र जौहरी
13. धर्मी पुत्र भीका
14. भम्बल पुत्र भीका
15. काडू पुत्र भीका
16. धमोला पुत्री भीका
17. लोटनबाई पुत्री भीका
18. लखनबाई पुत्री भीका
19. गल्ली पुत्री भीका
20. मल्ली पुत्री भीका
21. निरमा पुत्री भीका
22. सरोज पुत्री भीका
23. मोतीलाल पुत्र धुन्धी
24. रामप्रसाद पुत्र धुन्धी
25. मोहरसिंह पुत्र धुन्धी
26. रणवीर पुत्र धुन्धी
27. भूरी पुत्री धुन्धी
28. काडी देवी पत्नि धुन्धी

समस्त जातियान मीना निवासीयान लाडपुर तहसील टोडाभीम। (सायलान)

बनाम

1. कल्लूवेग पुत्र अहमद वेग
2. जरीना पुत्री अहमद वेग
3. रहीसा पुत्री अहमद वेग
4. सितारा पुत्री अहमत वेग

   समस्त जाति मुसलमान निवासी काजीपाडा टोडाभीम।

5. मन्जू पत्नि अभिषेक जाति जागा निवासी शिवजीनगर शास्त्री नगर जयपुर।
6. रीना देवी पत्नि प्रहलाद जाति मीना निवासी नसिया कॉलानी गंगापुर सिटी।
7. तहसीलदार टोडाभीम।
8. सव रजिस्ट्रार टोडाभीम।

(गैरसायलान)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunita Meena
Date: 2024.09.10 11:04:16 IST
Reason: SelfAttested

(सुनीता मीना)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-गंगापुर सिटी

प्रार्थना पत्र अरथाई निषेधाज्ञा

उपरिथितिः– श्री सुरेश चन्द शर्मा एडवोकट सायलान
श्री मनोज कुमार शर्मा एडवोकेट गैरसायलान

दिनांक 28.06.2024

निर्णय

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunita Meena
Date: 2024.09.10 11:04:16 IST
Reason: SelfAttested

सायल द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अरथाई नि... मे विवरण इस प्रकार है के ग्राम लाडपुर की आराजी ख0न0 225/0.86, 226/... 228/0.05, 229/0.77, 230/0.78, 231/0.75, 232/0.40, 233/0.35, 234/0.91 कुल किता 10 कुल रकवा 5.34 है0 के ...-प्रबन्ध से पूर्व गत खसरा नम्बर 157 रकवा 14 बीधा 16 बिस्वा, 158 रकवा 6 बीधा 11 बिस्वा है जो मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2043–62 से साबित है। उक्त आराजीयात सायलान की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि है। यह भूमि सायल न0 12 रामसहाय पुत्र जौहरी व सायल न0 1 ता 11 व 13 ता 28 के बुजुर्ग मृतक शिवलाल पुत्र कंचन, भीका पुत्र मीठा, धुन्धी पुत्र भूत्या ने पूर्व खातेदार रामचरण आर्य पुत्र रामप्रसाद स्वर्णकार निवासी टोडाभीम से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय दिनांक 15.07.1965 को खरीद की है तथा विक्रय पत्र उपपंजीयक कार्यालय टोडाभीम मे विधिवत रजिस्टर्ड व जीबद्ध हुआ है तथा इस विक्रय पत्र के आधार पर उक्त केताओ के हक मे नामांतकरण न0 47 दिनांक 04.11.1965 खोला व तस्दीक किया गया है। विक्रेता रामचरण आर्य ने यह भूमि पूर्व खातेदारान अहमद बेग, रहमत बेग पिसरान सफी बेग जाति मुसलमान टोडाभीम से जरिये रजिस्टर्ड विक्रयपत्र दिनांक 08.12.1964 को खरीद की है। जिसका नामांतकरण न0 46 दिनांक 25.12.1964 खुलकर तस्दीक हुआ है। तथा जमाबन्दी मे अमल हो गया है। ये दोनो विक्रय पत्र नामांतकरण आज तक किसी भी न्यायालय द्वारा निरस्त नही किये गये है, यथावत है। सायलान का इस भूमि पर विक्रयपत्र की दिनांक से आज तक बहैसियत खातेदार मालिक कब्जा है तथा कानूनन खातेदार काश्तकार है। इस भूमि से गैरसायल न0 1 ता 4 तथा महमूद खॉ, कसायत अली, रहमत बेग, रेमन बेग का कोई संबध किसी प्रकार का नही है, नाही पूर्व मे रहा है। खातेदारी मे दर्ज नाम ...नी पत्नि अहमद बेग की मृत्यु हो चुकी है। उसके पुत्र पुत्री है जो पक्षकार गैरसायल बनाये गये

यह है कि भूमि विवादित के संबध मे विक्रयपत्र रजिस्टर्ड दिनांक 30.09.2020 जो कल्लूबेग ... अहमद बेग, जरीना, रहीशा, सीतारा, पुत्रीया अहमदबेग जाति मुसलमान निवासी टोडाभीम द्वारा ...सायल मंजू, रीना के हक मे किया गया है, गलत व अवैध फर्जी बनावटी है। उक्त विक्रेताओ को ... भूमि को विक्रय करने का किसी प्रकार का अधिकार स्वामित्व नही था, नाहि इनका कब्जा था, ...दे खरीददार का कब्जा है। इसी विवादित भूमि का रजिस्टर्ड विक्रय नाम पूर्व मे उक्त विक्रेताओ ... पिता अहमदबेग व इनके बुजुर्ग रहमत बेग द्वारा दिनांक 08.12.1964 को रामचरण आर्य स्वर्णकार ... हक मे किया जा चुका है। इस प्रकार विवादित भमि के संबध मे विक्रयनामा पुनः कानूनन नही ...सकता है। इस प्रकार यह विक्रयपत्र नल एण्ड बोईड व बेअसर सायलान है तथा काबिले खारिज

यह है कि सायल रामसहाय व वादीगण के बुजुर्ग मृतक शिवलाल, मृतक भीका, मृतक ... सीधे सादे अनपढ व्यक्ति है। उनके नाम भूमि विवादित का राजस्व रिकार्ड मे विक्रय पत्र के ...र ही नामांतकरण खुल कर तस्दीक हो गया था तथा पटवारी हल्का ने कहा कि तुम्हारे नाम ...दारी हो गयी है। इसलिये सायल व सायलान के बुजुर्ग केता निश्चिंत हो गये थे। अब राजस्व ...र्ड जमाबन्दी देखकर जानकारी प्राप्त हुई है। कि विक्रयपत्र व नामांतकरण के आधार पर ...बन्दी मे खातेदारी दर्ज नही हुई है। तब दिनांक 14.12.2022 को व अन्य तारीख को नकल ...य पत्र, नामांतकरण की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त की है। इसके उपरान्त दिनांक 24.04.2023 को

(सुनीता मीना)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-गंगापुर सिटी

तहसीलदार टोडाभीम से विक्रयपत्र नामांतकरण के आधार पर सायलान के नाम खातेदारी करने का निवेदन किया तब वे इन्कार हो गये है। इसलिये यह प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है।

अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर गैरसायल न0 1 ता 6 को इस प्रकार पाबन्द फरमाया जावे कि वे ग्राम लाडपुर स्थित आराजी ख0न0 225/0.86, 226/0.18, 227/0.3[illegible]28/0.05, 229/0.77, 230/0.78, 231/0.75, 232/0.40, 233/0.35, 234/0.91 कुल कि[illegible] कुल रकबा 5.34 है0 मे सायलान के [illegible] को विक्रय, रहन या कब्जेकाश्त मे रूकावट पैदा नही करे, तथा किसी दीगर [illegible] बनाये रखे तथा अन्य प्रकार से ट्रान्सफर नही करे तथा गैरसायल न[illegible] रिक[illegible] पंजीबद्व नही करे। गैरसायल न0 8 किसी भी रहन विक्रय के दस्तावेज को [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunita Meena
Date: 2024.09.10 11:04:16 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर गैरसायलान को जरिये नोटिस तलब किया गया। गैरसायल न0 7 व 8 उपस्थित, गैरसायल न0 1 ता 4 बावजूद सूचना अनुपस्थित न्यायालय रहने से इनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गई। गैरसायल न0 5 व 6 ने जरिये वकालतन जबाब पेश किया कि सायलान ने प्रार्थना पत्र जिस प्रकार तहरीर किया गया है वह गलत व मनगढंत दर्ज करवा दिये गये है। जिनका गैरसायलान से कोई संबध किसी प्रकार का नही है। दिनांकः– 18.07.1965 को रामसहाय, भीका, धुंधी द्वारा किसी रामचरण आर्य से वादग्रस्त आराजीयात को क्रय कर कभी कब्ज प्राप्त नही किया है, और नाही आराजीयात को कोई रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 15.7.1965 या अन्य किसी भी दिन उप पंजीयक कार्यालय मे रजिस्टर्ड हुआ है, और नाही ऐसे किसी फाल्स, फेब्रिकेटेड विक्रय पत्र के आधार पर किसी के हक मे नामांतकरण स0 47 या अन्य कोई नामांतकरण दिनांक 04.11.1965 को खोला व तस्दीक किया गया है, यदि ऐसा कोई विक्रय पत्र दिनांक 15.07.1965 को या अन्य किसी भी दिन नामांतकरण न0 47 या अन्य कोई नामांतकरण खोला जाकर तस्दीक किया गया होता तो अवश्य ही रामचरण आर्य के हक मे खातेदारी अवश्य ही दर्ज हुई होती, और आज वर्तमान रिकार्ड की खातेदारी रहमत बेग व अहमद बेग के वारिसान गैरसायल न0 1 ता 4 के ह कमे दर्ज रिकार्ड नही होती, यदि ऐसा कोई विक्रय पत्र दिनांक 15.7.1965 व नामांतकरण दिनांक 04.11.1965 सायलान के पावर एंड पजेशन मे है तो वह पूर्णतया फेब्रिकेटेड, कूटरचित दस्तावेज है। जो बमुकाबले पूर्णतया फाल्स, फेब्रिकेटेड, कूटरचित दस्तावेज है। बादग्रस्त भूमि को दिनांक 08.12.1964 को या अन्य किसी भी दिन नाही तो किसी भी रामचरण आर्य द्वारा रहमत बेग व अहमद बेक से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रय किया, नाही ऐसा कोई विक्रय पत्र उप पंजीयक कार्यालय मे पंजीबद्व ही हुआ, विक्रय पत्र के आधार पर किसी रामचरण आर्य के नाम नामांतकरण न0 46 या अन्य कोई नामांतकरण दिनांक 25.12.1964 या अन्य किसी भी दिन खुलकर तस्दीक हुआ है, यदि वास्तव मे ऐसे कोई विक्रय पत्रो की प्रमाणिकता होती और विधिक होते तो सायलान द्वारा पूर्व मे माननीय न्यायालय मे एक दावा उनवानी रूपसिंह बनाम कल्लूबेग मय प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश किया था, जिसमे सायलान ने उक्त तथाकथित फर्जी फाल्स फेब्रिकेटेड गैरकानूनी विक्रय पत्रो संबधी कोई तथ्य दर्ज नही किये, और दावा व प्रार्थना पत्र सायलान द्वारा आगे चलकर नोटप्रेस खारिज करवा लिया था, इससे स्पष्ट है कि उक्त तथाकथित विक्रय पत्र फाल्स फेब्रिकेटेड विक्रय पत्र है जो बमुकाबले गैरसायल न0 5 व 6 नल एण्ड बोईड व प्रभावहीन है, सायलान का वादग्रस्त आराजी के एक इंच भू–भाग पर नाही तो पहले कब्जा काश्त रहा है, और नाही मौके पर आज कब्जा काश्त है, बल्कि वास्तव मे वादग्रस्त आराजीयात एवं इसी खाते मे दर्ज दीगर आराजीयात मे से गैरसायल न0 1 ता 4 ने अपने 1/5 हिस्से की भूमि को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 30.09.2020 को गैरसायल न0 5 व 6 को समभाग मे विक्रय कर दिया है, और विक्रय के दिन से आज दिन तक क्रयशुदा आराजी सम्पूर्ण के 1/5 हिस्से की भूमि पर गैरसायलान न0 5 व 6 काबिज व दाखिल है, और विक्रय पत्र के दिनांक से पूर्व गैरसायल न0 1 ता 4 अपने पूर्वजो के समय से उक्त आराजी पर काबिज एवं दखील चले आ रहे थे, इस प्रकार वादग्रस्त भूमि से सायलान का नाही तो पहले कभी कोई सरोकार रहा है और नाही आज है, प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजीयात मे गैरसायल न0 5 व 6 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र विक्रय राशी 3 लाख रूपये मे दिनांक 30.09.2020 को

(सुनीता मीना)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-गंगापुर सिटी

विक्रय कर चुकता प्राप्त कर गैरसायल न0 5 व 6 को कब्ज करा दिया। उक्त विक्रय शुदा आराजी पर गैरसायल न0 1 ता 4 अपने पूर्वजो के समय से काबिज काश्त चले आ रहे है। इस साल उक्त आराजी मे गैरसायल न0 5 व 6 ने फसल सरसो काश्त की है। इस प्रकार कब्जे के अभाव मे प्रार्थना पत्र सायलान मेन्टिनेबिल नही है काबिले खारिज है। अतः जबाब प्रार्थना पत्र पेश कर अर्ज है के प्रार्थना पत्र सायलान खारिज फरमाया जावे।

उभयपक्ष वकील की बहस सुनी गई। सायलान वकील ने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मे वर्णित तथ्यो का दोहरान करते हुये कथन किया कि प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजी ग्राम लाडपुर कुल किता 10 कुल रकवा 5.34 है0 के भू–प्रबन्ध से पूर्व गत खसरा नम्बर 157 रकवा 14 बीधा 16 बिस्वा, 158 रकवा 6 बीधा 11 बिस्वा है जो मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2043–62 से साबित है। उक्त आराजीयात सायलान की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि है। यह भूमि सायल न0 12 रामसहाय पुत्र जौहरी व सायल न0 1 ता 11 व 13 ता 28 के बुजुर्ग मृतक शिवलाल पुत्र कंचन, भीका पुत्र मीठा, धुन्धी पुत्र भूत्या ने पूर्व खातेदार रामचरण आर्य पुत्र रामप्रसाद स्वर्णकार निवासी टोडाभीम से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय दिनांक 15.07.1965 को खरीद की है, तथा इस विक्रय पत्र के आधार पर उक्त केताओ के हक मे नामांतकरण न0 47 दिनांक 04.11.1965 खोला व तस्दीक किया गया है। विक्रेता रामचरण आर्य ने यह भूमि पूर्व खातेदारान अहमद बेग, रहमत बेग पिसरान सफी बेग जाति मुसलमान टोडाभीम से जरिये रजिस्टर्ड विक्रयपत्र दिनांक 08.12.1964 को खरीद की है। जिसका नामांतकरण न0 46 दिनांक 25.12.1964 खुलकर तस्दीक हुआ है। तथा जमाबन्दी मे अमल हो गया है। ये दोनो विक्रय पत्र नामांतकरण आज तक किसी भी न्यायालय द्वारा निरस्त नही किये गये है, यथावत है। सायलान का इस भूमि पर विक्रयपत्र की दिनांक से आज तक बहैसियत खातेदार मालिक कब्जा है तथा कानूनन खातेदार काश्तकार है। इस भूमि से गैरसायल न0 1 ता 4 तथा महमूद खॉ, कसायत अली, रहमत बेग, हरिमन बेग का कोई संबध किसी प्रकार का नही है, नाही पूर्व मे रहा है। खातेदारी मे दर्ज नाम नन्नी पत्नि अहमद बेग की मृत्यु हो चुकी है। उसके पुत्र पुत्री है जो पक्षकार गैरसायल बनाये गये है। भूमि विवादित के संबध मे विक्रयपत्र रजिस्टर्ड दिनांक 30.09.2020 जो कल्लूबेग पुत्र अहमद बेग, जरीना, रहीशा, सीतारा, पुत्रीया अहमदबेग जाति मुसलमान निवासी टोडाभीम द्वारा गैरसायल मंजू, रीना के हक मे किया गया है, गलत व अवैध फर्जी बनावटी है। उक्त विक्रेताओ को इस भूमि को विक्रय करने का किसी प्रकार का अधिकार स्वामित्व नही था, नाहि इनका कब्जा था, नाहि खरीददार का कब्जा है। इसी विवादित भूमि का रजिस्टर्ड विक्रय नाम पूर्व मे उक्त विक्रेताओ के पिता अहमदबेग व इनके बुजुर्ग रहमत बेग द्वारा दिनांक 08.12.1964 को रामचरण आर्य स्वर्णकार के हक मे किया जा चुका है। इस प्रकार विवादित भूमि के संबध मे विक्रयनामा पुनः कानूनन नही हो सकता है। सायल रामसहाय व वादीगण के बुजुर्ग मृतक शिवलाल, मृतक भीका, मृतक धुनधी सीधे सादे अनपढ व्यक्ति है। उनके नाम भूमि विवादित का राजस्व रिकार्ड मे विक्रय पत्र के समय ही नामांतकरण खुल कर तस्दीक हो गया था तथा पटवारी हल्का ने कहा कि तुम्हारे नाम खातेदारी हो गयी है। इसलिये सायल व सायलान के बुजुर्ग केता निश्चिंत हो गये थे। अब राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी देखकर जानकारी प्राप्त हुई है। कि विक्रयपत्र व नामांतकरण के आधार पर जमाबन्दी मे खातेदारी दर्ज नही हुई है। तब दिनांक 14.12.2022 को व अन्य तारीख को नकल विक्रय पत्र, नामांतकरण की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त की है। इसके उपरान्त दिनांक 24.04.2023 को तहसीलदार टोडाभीम से विक्रयपत्र नामांतकरण के आधार पर सायलान के नाम खातेदारी करने का निवेदन किया तब वे इन्कार हो गये है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर गैरसायलान को वर्णित आराजीयात मे पाबन्द फरमाया जावे कि वे रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे।

गैरसायल न0 5 व 6 के वकील ने जबाब प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यो का दोहरान करते हुये कथन किया कि प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजीयात से सायलान से कोई संबध किसी प्रकार का नही है। दिनांकः– 18.07.1965 को रामसहाय, भीका, धुंधी द्वारा किसी रामचरण आर्य से वादग्रस्त आराजीयात को क्रय कर कभी कब्जा प्राप्त नही किया है, और नाही आराजीयात का कोई रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 15.7.1965 या अन्य किसी भी दिन उप पंजीयक कार्यालय मे रजिस्टर्ड हुआ है,

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunita Meena
Date: 2024.09.10 11:04:16 IST
Reason: SelfAttested

(सुनीता मीना)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-गंगापुर सिटी

और नाही विक्रय पत्र के आधार पर किसी के हक मे नामांतकरण स0 47 या अन्य कोई नामांतकरण दिनांक 04.11.1965 को तस्दीक किया गया है, यदि ऐसा कोई विक्रय पत्र दिनांक 15.07.1965 को या अन्य किसी भी दिन नामांतकरण न0 47 या अन्य कोई नामांतकरण खोला जाकर तस्दीक किया गया होता तो अवश्य ही रामचरण आर्य के हक मे खातेदारी अवश्य ही दर्ज हुई होती, और आज वर्तमान रिकार्ड की खातेदारी रहमत बेग व अहमद बेग के वारिसान गैरसायल न0 1 ता 4 के हक मे दर्ज रिकार्ड नही होती, यदि ऐसा कोई विक्रय पत्र दिनांक 15.7.1965 व नामांतकरण दिनांक 04.11.1965 सायलान के पावर एंड पजेशन मे है तो वह पूर्णतया फेब्रिकेटेड, कूटरचित दस्तावेज है। जो बमुकाबले पूर्णतया फाल्स, फेब्रिकेटेड, कूटरचित दस्तावेज है। बादग्रस्त भूमि को दिनांक 08.12.1964 को या अन्य किसी भी दिन नाही तो किसी भी रामचरण आर्य द्वारा रहमत बेग व अहमद बेग से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रय किया, नाही ऐसा कोई विक्रय पत्र उप पंजीयक कार्यालय मे पंजीबद्व ही हुआ, विक्रय पत्र के आधार पर किसी रामचरण आर्य के नाम नामांतकरण न0 46 या अन्य कोई नामांतकरण दिनांक 25.12.1964 या अन्य किसी भी दिन खुलकर तस्दीक हुआ है, यदि वास्तव मे ऐसे कोई विक्रय पत्रो की प्रमाणिकता होती और विधिक होते तो सायलान द्वारा पूर्व मे माननीय न्यायालय मे एक दावा उनवानी रूपसिंह बनाम कल्लूबेग मय प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश किया था, जिसमे सायलान ने उक्त तथाकथित फर्जी फाल्स फेब्रिकेटेड गैरकानूनी विक्रय पत्रो संबधी कोई तथ्य दर्ज नही किये, और दावा व प्रार्थना पत्र सायलान द्वारा आगे चलकर नोटप्रेस खारिज करवा लिया था, इससे स्पष्ट है कि उक्त तथाकथित विक्रय पत्र फाल्स फेब्रिकेटेड विक्रय पत्र है जो बमुकाबले गैरसायल न0 5 व 6 नल एण्ड वोईड व प्रभावहीन है, सायलान का वादग्रस्त आराजी के एक इंच भू–भाग पर नाही मो पहले कब्जा काश्त रहा है, और नाही मौके पर आज कब्जा काश्त है, बल्कि वास्तव मे वादग्रस्त आराजीयात एवं इसी खाते मे दर्ज दीगर आराजीयात मे से गैरसायल न0 1 ता 4 ने अपने 1/5 हिस्से की भूमि को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 30.09.2020 को गैरसायल न0 5 व 6 को समभाग मे विक्रय कर दिया है, और विक्रय के दिन से आज दिन तक कयशुदा आराजी सम्पूर्ण के 1/5 हिस्से की भूमि पर गैरसायलान न0 5 व 6 काबिज व दखिल है, और विक्रय पत्र के दिनांक से पूर्व गैरसायल न0 1 ता 4 अपने पूर्वजो के समय से उक्त आराजी पर काबिज एवं दखील चले आ रहे थे, इस प्रकार वादग्रस्त भूमि से सायलान का नाही तो पहले कभी कोई सरोकार रहा है और नाही आज है, प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजीयात मे गैरसायल न0 5 व 6 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र विक्रय राशी 3 लाख रूप्ये मे दिनांक 30.09.2020 को विक्रय कर चुकता प्राप्त कर गैरसायल न0 5 व 6 को कब्जा करा दिया। उक्त विक्रय शुदा आराजी पर गैरसायल न0 1 ता 4 अपने पूर्वजो के समय से काबिज काश्त चले आ रहे है। इस साल उक्त आराजी मे गैरसायल न0 5 व 6 ने फसल सरसो काश्त की है। इस प्रकार कब्जे के अभाव मे प्रार्थना पत्र सायलान मेन्टिनेबिल नही है काबिले खारिज है। अतः जबाब प्रार्थना पत्र पेश कर अर्ज है कि प्रार्थना पत्र सायलान खारिज फरमाया जावे।

विद्वान वकीलो की बहस पर गहनता से मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को निर्णित करने के लिए विचारणीय न्यायालय को तीन बिन्दुओ को तय किया जाना होता है।

1. **प्रथम दृष्टया प्रकरणः–** प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजी पत्रावली मे शामिल जमाबन्दी सम्वत 2075–78 के खाता संख्या 47 मे खसरा किता 41 कुंल रकवा 8.37 है0 मे गैरसायल न0 1 ता 4 मुताबिक जमाबन्दी मे दर्ज हिस्सानुसार खातेदार काश्तकार है शेष हिस्से के अन्य मुताबिक जमाबन्दी सहखातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजी किता 10 कुल रकवा 5.34 है0 मिलान क्षेत्रफल 2043–62 से भू–प्रबन्ध विभाग से पूर्व गत खसरा नम्बर 157 रकवा 14 बीघा 16 बिस्वा, 158 रकवा 6 बीधा 11 बिस्वा से बने है। पत्रावली मे शामिल विक्रय पत्र क्रमांक 129 दिनांक 08.12.1964 से अहमद बेग, रहमत बेग पिसरान सफा बेग जाति मुसलमान ने रामचरण पुत्र रामप्रसाद आर्य स्वर्णकार के हक मे विक्रय पत्र पंजीबद्व हुआ है। उक्त विक्रय पत्र के आधार पर पत्रावली मे शामिल विक्रय पत्र कमांक 219 अनुसार रामचरण पुत्र रामप्रसाद आर्य स्वर्णकार ने शिवलाल पुत्र कंचन, रामसहाय पुत्र जौहरी, भीका पुत्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunita Meena
Date: 2024.09.10 11:04:16 IST
Reason: SelfAttested

(सुनीता मीना)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-गंगापुर सिटी

मीठा, धुन्धी पुत्र झूता कौम मीना के हक मे रजिस्टर्ड पंजीबद्ध हुआ है जिसका नामांतकरण न0 46 दिनांक 15.11.1965 से शिवलाल पुत्र कंचन, रामसहाय पुत्र जौहरी, भीका पुत्र मीठा, धुन्धी पुत्र झूता कौम मीना के हक मे स्वीकार हुआ है। परन्तु दोनो विकयपत्रो का अमल राजस्व रिकार्ड मे नही होने के कारण वर्तमान मे खातेदारी गैरसायल न0 1 ता 4 के दर्ज रिकार्ड है। खातेदारी गैरसायल न0 1 ता 4 के होने के कारण गैरसायल न0 1 ता 4 ने गैरसायल न0 5 व 6 के हक मे विकय पत्र पंजीबद्ध कराया है वह विधि विरूद्व है। जबकि नामांतकरण न0 46 दिनांक 15.11.1965 से शिवलाल पुत्र कंचन, रामसहाय पुत्र जौहरी, भीका पुत्र मीठा, धुन्धी पुत्र झूता कौम मीना प्रथम खातेदारी नामांतकरण स्वीकृत होने पर खातेदारी का हक प्रथमतः इनका है। अतः प्रथम दृष्टया प्रकरण गैरसायलान के पक्ष मे साबित नही होकर सायलान के पक्ष मे साबित है।

2. **सुविधा का संतुलनः—** पत्रावली मे शामिल दस्तावेजात के आधार पर प्रथम दृष्टया प्रकरण सायल के पक्ष मे साबित होने से सुविधा का संतुलन सायल के पक्ष मे साबित है।
3. **अपूर्तनीय क्षतिः— प्रार्थना पत्र मे** वर्णित आराजीयात मे यदि गैरसायलान को पाबन्द नही किया जाता है तो सायलान को अपूर्तनीय क्षति होने की पूर्ण संभावना है।

उक्त विवेचन के अनुसार प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन, व अपूर्तनीय क्षति सायल के पक्ष मे साबित होने से सायलान का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

आदेश

अतः ग्राम लाडपुर की आराजी ख0न0 225/0.86, 226/0.18, 227/0.35, 228/0.05, 229/0.77, 230/0.78, 231/0.75, 232/0.40, 233/0.35, 234/0.91 कुल किता 10 कुल रकबा 5.34 है0 मे गैरसायलान को ता दावा फैसला पाबन्द किया जाता है कि रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

निर्णय आज दिनांक 28.06.2024 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सुनीता मीना)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला गंगापुर सिटी

(सुनीता मीना)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-गंगापुर सिटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunita Meena
Date: 2024.09.10 11:04:16 IST
Reason: SelfAttested